बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ0सं0 :– 2/अ0प्र0–1–148/2017 /पटना, दिनांक :–

चूँकि बिहार सरकार को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि मो० जमील अबुल हसन, तत्कालीन सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–2 द्वारा इचामारी से हुबलीडांगी पथ में कंकई नदी पर पुल निर्माण कार्य में अनियमितता बरती गयी है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में अर्न्तविष्ट है। इसलिये बिहार सरकार ने आदेश दिया है कि मो० जमील अबुल हसन, तत्कालीन सहायक अभियंता के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत मुख्य अभियंता–4 ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री शिव प्रताप सिंह, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. मो० जमील अबुल हसन, तत्कालीन सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–2 सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोहनियाँ से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

21/5/2020

(संजय दूबे)

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–148/2017 /पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ मुख्य अभियंता–4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अविलम्ब विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी जाय तथा 45 (पैंतालीस) दिनों के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा कार्यवाही अभिलेख विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु0 :– यथोक्त।

21/5/2020

अपर सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secretary rwd bihar@gmail.com,& secy-reo-bih@nic.

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–148/2017 /पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री शिव प्रताप सिंह, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं मो० जमील अबुल हसन, तत्कालीन सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–2 सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोहनियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 :– यथोक्त।

ह0 21/5/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–148/2017 991 /पटना, दिनांक :–28.5.2020

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–2/मोहनियाँ/प्रशाखा पदाधिकारी–5, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 21/5/2020

अपर सचिव